बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(युवा कार्य एवं खेल निदेशालय)

अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में सहभागिता हेतु अनुदान की नीति/मार्गदर्शिका

अधिसूचना

पटना, दिनांकः 04/07/07

संख्या– 2/ब1–17/2006–45....../राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में दल/खिलाड़ियों की सहभागिता हेतु राज्य सरकार की योजना अन्तर्गत अनुदान की स्वीकृति हेतु संशोधित मार्गदर्शिका का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :–

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर हेतु अनुदान

(1) ***पात्रता*** :– मान्यता प्राप्त खेलों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने हेतु राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा चयनित बिहार राज्य के खिलाड़ी, जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, इस अनुदान के पात्र होंगे (भेटरेन खेल को छोड़कर)।

(1.1) भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय/विभाग से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु दल की प्रतिभागिता का स्वीकृति पत्र (वित्तीय सहायता सहित अथवा वित्तीय सहायता रहित) संलग्न करना आवेदक के लिए अनिवार्य होगा। या, संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा इस आशय का उल्लेख चयन पत्र में हो।

(1.2) यह अनुदान केन्द्र सरकार/राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा वित्तीय सहायता की अनुपलब्धता की स्थिति में ही अनुमान्य होगा।

(1.3) नौकरी करने वाले खिलाड़ी अपने नियोक्ता के माध्यम से अनुदान हेतु आवेदन देना होगा। उनके नियोक्ता द्वारा वित्तीय सहायता मिलने की स्थिति में उन्हें यह अनुदान अनुमान्य नहीं होगां

(2) ***अनुमान्य अनुदान***

(2.1) राज्य से देश के बाहर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के स्थान पर जाने एवं वापस लौटने हेतु रेल/वायुयान भाड़ा।

(2.2) भारत से आयोजन स्थल/देश की दूरी तथा यात्रा की अवधि को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ी के आकस्मिक खर्च हेतु 10,000/– से 25,000/– रुपये तक की राशि।

(3) इस अनुदान के लिए खिलाड़ी का चयन राज्य सरकार द्वारा विभागीय सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुदान समिति द्वारा किया जायगा। समिति/सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(4) स्वीकृत अनुदान की राशि का 50 % ही अग्रिम के रूप में दिया जायगा। शेष 50% की राशि प्रतिभागिता के पश्चात् खर्च का ब्यौरा, रेल/वायुयान यात्रा के टिकट की स्पष्ट छाया प्रति, खिलाड़ी की प्रतिभागिता से संबंधित दो छाया चित्र, परिणाम, प्रमाण–पत्र आदि तुरंत (पन्द्रह दिनों के भीतर) समर्पित करना अनुदान स्वीकृत के लिए अनिवार्य होगा।

(5) खिलाड़ी को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर लौटने पर तुरन्त अपनी उपलब्धि/परिणाम की सूचना अनुदान स्वीकृति हेतु सरकार को देना अनिवार्य होगा।

(6) पूरे अनुदान के भुगतान प्राप्ति के एक माह के अन्दर व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभिश्रव निदेशालय को समर्पित नहीं करने पर खिलाड़ी अगले अनुदान के लिए आयोग्य समझा जायगा और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

राष्ट्रीय स्तर हेतु अनुदान

(1) <u>पात्रता</u> :– सरकारी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बिहार दल/खिलाड़ियों की प्रतिभागिता हेतु राज्य के राष्ट्रीय परिसंघ से मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों/भारतीय ऑलिम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त बिहार ऑलिम्पिक संघ इस अनुदान के पात्र होंगे।

(2) <u>अनुमान्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ</u>

(क) राष्ट्रीय प्रतियोगिता (नेशनल चैम्पियनशिप) सिनियर, जुनियर तथा सबजुनियर/कैडेट वर्ग या

(ख) राष्ट्रीय खेल (भारतीय ऑलम्पिक संघ द्वारा आयोजित) हेतु

(3) <u>अनुमान्य अनुदान</u>

(क) उपरोक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु (राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप) दल एक प्रशिक्षक एवं एक प्रबंधक सहित राज्य से आयोजन स्थान/राज्य तक जाने एवं वापस लौटने हेतु रियायती द्वितीय श्रेणी स्लीपर रेल भाड़ा।

(ख) प्रतिभागी दल के सदस्यों के लिया यात्रा की अवधि में भोजन व्यय हेतु 100/– (एक सौ) रुपये प्रति सदस्य की दर से राशि देय होगा।

(ग) **राष्ट्रीय प्रतियोगिता** में निःशुल्क भोजन व्यवस्था नहीं होने का प्रमाण समर्पित करने पर **राष्ट्रीय प्रतियोगिता** की अवधि का भोजन व्यय 100/–रुपये प्रति सदस्य की दर से देय होगा।

(घ) नेशनल गेम्स में भाग लेने वाले दल को खेल पोशाक आदि भी उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जायगा यदि निधि उपलब्ध होगी ।

(4) राज्य के कम से कम बीस जिलों में सम्बद्ध ईकाईयों वाले मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों को ही अनुदान के लिए योग्य माना जायगा। इसके लिए जिला इकाईयों की सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही राज्य संघ उनके नियमावली के आधार पर चुनाव, संघ के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा, संघ के बैंक एकाउन्ट पैन नम्बर, आयकर रिर्टन का जमा होना आदि की भी बाध्यता होगी।

(5) राज्य खेल संघों को आवेदन के साथ अपने संघ का **मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल** सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।

(6) राज्य खेल संघ को अनुदान के भुगतान के तीन माह के भीतर व्यय विवरणीएवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभिश्रव के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर संघ द्वारा अंकेक्षित प्रतिवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान हेतु आयोग्य माना जायगा।

(7) इस योजना हेतु उपबंधित कुल राशि का 10% विकलांग खेल संघ/संस्थाओं के लिए कर्णांकित रहेगा।

उपरोक्त अनुदान संबंधित किसी प्रकार के अन्य नीति/शर्त सरकार के स्तर पर किसी भी समय निर्धारित किये जाने पर पूर्व से आवेदित संघ पर भी लागू होगा।

इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सारे मार्गदर्शिका को निरस्त किया जाता है।

(अब्दुर रहमान)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 854 /   पटना, दिनांकः 04/07/07

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि 100 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अब्दुर रहमान)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 854 /   पटना, दिनांकः 04/07/07

प्रतिलिपि– महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/ मा0 मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप निदेशक, शा0शि0/प्रमंडलीय अधीक्षक, शा0शि0/जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक, शा0शि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

(अब्दुर रहमान)
सरकार के संयुक्त सचिव।

khelsaman